

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9704/2023 Shri Rajesh Mangal, Director, M/s Shri Vinayak Surgi Plast Private Limited, R/o B-12 (A), Industrial Area, Banmore, District-Morena (MP)-476444 Prior Environment Clearance for API/Pharmaceutical Intermediates Production unit with proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates of 138 MT/Annum at Plot No. B-12, Banmore Industrial Area, Banmore, District-Morena (MP). EIA-PPT.

This is case of Prior Environment Clearance for API/ Pharmaceutical Intermediates Production unit with proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates of 138 MT/Annum at Plot No. B-12, Banmore Industrial Area, Banmore, District-Morena (M.P.). Category-5-f.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 630th meeting dated 17.03.2023 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report on the Parivesh portal which was forwarded on line by SEIAA to SEAC hence the same was scheduled in the agenda for EIA presentation.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Rajesh Mangal, Director from M/s. Shri Vinayak Surgiplast Pvt Ltd, Morena in the SEAC 692th meeting dated 19.10.2023. wherein submitted following details about the project:

- **M/s. Shri Vinayak Suriplast Pvt Limited (SVSPL)**, is Medium scale manufacturing facility to be located at Plot no B-12, Banmore Industrial Area, Banmore Dist Morena (M.P.)
- The unit is established in year 2011 and presently producing Inorganic chemicals as per consent 25 TPA and having valid consent from MPPCB . Unit is manufacturing surgical cotton only till date.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

- Proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates will be 138 MT/Annum.
- The project occupies a plot Area of 2973 m² of land. The total fixed cost of the project is estimated as INR 500 lacs .
- The major facilities will be Boiler, MEE, Reactors, Cooling Towers, Effluent Treatment Plant (ETP), and R.O Plant. Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation will also be developed as per plan/requirement. The treated water will be used for cooling towers, floor washing and gardening/green belt.
- Total raw water requirement for the proposed project will be 35.8 KLD and after recycling of 15.3 KLD, the fresh water requirement will be 20.5 KLD after recycling. The water will be sourced from MPIDC Supply System
- The total wastewater generation from the domestic source will be 2.4 KLD and industrial wastewater generation will be 14.7 KLD. Process effluent will be segregated into concentrated effluent stream 6 KLD and normal effluent stream (8.70 KLD).
- Solid waste generated during the manufacturing process and wastewater treatment process is mainly sludge and will be disposed at authorized TSDF facility, as per Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2008 (Amendment 2016). The unit will take authorization Under Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement), Rules.
- Power will be sourced from existing line of 'Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company'. The total requirement will be 150 KW. In case of power failure, D.G. of 200 KVA will be used as a backup power source.
- The total approximate capital cost for environmental measures is kept as Rs. 107.90 Lacs (capital cost) is allocated for environmental management systems and the annual recurring cost for the same is Rs 41.96 Lacs

Salient Feature of Project :

S.N.	Component	Status
1	Name of the Project	M/s. Shri Vinayak Surgi Plast Pvt Ltd
2	Location	Plot No. B-12 Banmore Industrial Area, Banmore Dist Morena (M.P.)
3	Product type	API / pharmaceutical intermediates production unit with Proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates of 138 MT/Annum.
4	Project Type	Green Field API and Bulk Drug Unit
5	Schedule / Project Activity No. - as per EIA notification	5 (f) Synthetic Organic Chemicals As per EIA Notification 2006, and Amendments thereof API Products shall be appraised as "Category – B-1"
6	Category of Project	MSME
7	Area Details in Sq Meter	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

i	Total Plot Area	2973 m ²	
iii	Green belt Area	1020.25 sq mtrs (approx. 33 % land area is allocated for green belt)	
8	Production Details		
i	Production Capacity	(API & Pharmaceutical/ Drug Intermediates) and related products with production capacity of 138 TPA	
9	Budgetary Allocation		
i	Project Cast	500 Lakhs	
ii	EMP Cast		
	Capital cost	107.90 Lacs	for EMS viz. ETP, MEE, APCM etc
	Annual re-occurring cost	41.96 Lacs	for EMS - O&M and monitoring etc
iii	CER Activities	10.00 Lacs	
S.N.	Component	Status	
10	Power Requirement		
i	Total Power Requirement	150 KW	
ii	Source	MPSEB	
iii	Solar power	5.0KW	
11	Fuel Requirement		
i	Briquette/Coal for Boilers (1.0 TPH & 0.8TPH)	Agro Briquette (0.8 T/day)	
iii	HSD For DG Set (-200- kVA)*	5.0lit/hour	
12	Utility Capacity		
		Capacity	Type of fuel
i	Proposed Steam Boiler	1TPH & 0.8TPH	Agro Waste /Briquette
13	Scrubber Details		
i	Acid scrubber	1200 CMH	
ii	Alkali Scrubber	1200 CMH	
15	Stack Details		
i	Boiler Stack	-MM DIA.X 15M HEIGHT (FOR 8KG/HR)	
ii	Thermic fluid heater2.0 lac K Cal.	7 Meter height and (WOD 8.0 Kg/hr)	
iii	Scrubber Stack	12 m which is higher	
iii	D.G. Set-200 kVA	6 meter height	
16	Man Power		

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

i	Construction phase	100-150
	Operation phase	50 workers per day
17	Water Details	
i	Total Water Requirement	35.8 KLD
ii	Recycle water *	15.3 KLD
iii	Actual fresh water requirement after recycling	20.5 KLD
S.N.	Component	Status
18	Effluent Details	
i	Domestic Effluent	2.4 KLD
ii	Process Effluent	6 KLD
iii	Utility, washing and others	8.7 KLD
iv	Total Industrial effluent generation	14.7 KLD
19	ETP Details	
i	Stream segregation	Effluent will be segregated as High COD/High TDS & Low COD/Low TDS Effluent
ii	High COD/High TDS Effluent	High COD/high TDS Effluent will be treated in stripper column followed by MEE with Agitated thin film dryer. The effluent will further be treated in ETP followed by RO system.
iii	Low COD/Low TDS Effluent	Low COD/Low TDS Effluent will be treated in a Effluent Treatment Plant comprising of Primary, Secondary & Tertiary treatment like sand filter carbon filter and then RO system. Effluent further will be treated in RO System The effluent after treatment in ETP and RO system will be reused within the company premises as cooling tower makeup water and boiler feed etc. The sewage effluent will be treated in a Effluent Treatment Plant/RO along with other effluent and reused.
20	Waste Management	
i	Solid waste, Hazardous waste,	All Haz. waste, solid & other waste will be segregated and properly stored prior to its final disposal and its managed would be carried out as per HW Rules, SW Rules & CPCB/SPCB guideline

PP further submitted that the proposed unit will be designed to specialize in manufacturing of Steroids/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) /

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Drug Intermediates making it in total of around 21 API's, drug intermediates The proposed capacity of the project is of 3000 TPA. PP stated that the established infrastructure will be used to set up the API unit and no demolition will be there. Existing infrastructure of manufacturing unit will be completely used. ETP has already been installed for existing operation. MEE, RO and ATFD will be installed for proposed PAI and Bluk drug production. Effluent treatment scheme including segregation of effluent streams for units adopting "Zero liquid discharge" shall be implemented Better housekeeping by regular steaming of all equipment's shall be done to avoid odour generation. Efficient biocides and eco serb shall be utilized to control bacterial contamination. Control of temperature Regular use of bleaching powder in the drains shall be done to avoid generation of putrefying micro-organisms. Closed operation of the process shall be practiced effectively. High COD high TDS wastewater will be sent to MEE, ATFD followed by ETP. Hence Industry will remain zero discharge all the time.

After deliberations and the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Expansion In Production Capacity By Addition of API & Pharmaceutical Intermediates Products Production Capacity - 25 TPA To 138 TPA at Plot No. B-12 in Banmore Industrial area Dist Morena M.P. [Steriods/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals Subject to the following special conditions:

List of proposed EC product details are as given below:

S. No.	Name of the Existing product	CAS No.	Quantity in TPA		Major uses/ End use
			Existing	Proposed	
	Surgical Cotton		25	Nil	surgical dressings, cosmetic purposes etc
1	Aluminium Hydroxide	21645-51-2	188	18	Antacid
2	Aluminium Magnesium silicate	1327-43-1	104	10	Antacid and Antiflatulent
3	Aluminum Phospahte	7784-30-7	60	10	dental cements
4	Barium Sulphate	7727-43-7	90	10	used to help doctors examine the esophagus (tube that connects the mouth and stomach), stomach, and intestine using x-rays or computed tomography
5	Calcium Carbonate	471-34-1	151	10	role as an antacid, a food colouring
6	Ferrous Sulphate	7782-63-0	156	120	treat and prevent iron deficiency anaemia
7	Potassium Bromide	7758-02-3	60	6.0	Anticonvulsant and a sedative i

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

8	Potassium Iodate	7758-05-6	46	1.0	used to block radioactive iodine
9	Potassium Iodide	7681-11-0	128	10.0	used in the prevention of radioactive iodine uptake into the thyroid gland during a nuclear radiation emergency
10	Sodium iodide	7681-82-5	118	5	administered as a supplement for total parenteral nutrition but is more commonly used in veterinary medicine.
11	Sodium meta periodate		311	10	used to oxidize cellulose. Sodium metaperiodate oxidation is often used to selectively label RNA, ...
S. No.	Name of the proposed product	CAS No.	Quantity in TPA	Major uses/ End use	
Group A			Proposed		
1	Betamethasone Valerate	2152-44-5	18	Treat itching, swollen and irritated skin.	
2	Betamethasone Sodium Phosphate	151-73-5		It is used to treat a number of different conditions, such as inflammation (swelling), severe allergies, adrenal problems	
3	Beclomethasone dipropionate	5534-09-8		Beclomethasone reduces the swelling, itching, and redness that can occur in these types of conditions.	
4	Clobetasol	25122-46-7		used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions	
5	Dexamethasone Sodium Phosphate	2392-39-4		Dexamethasone is used to treat conditions such as arthritis, blood/ hormone disorders	
6	Prednisolone Acetate	53-03-2	120	used to suppress the immune system and decrease inflammation in conditions such as asthma, COPD, and rheumatologic disease	
Group B			120		
1	Aceclofenac	89796-99-6		pain and inflammation in osteoarthritis	
2	Ambroxol HCl	23828-92-4		used to treat pathological mucus secretion disorders	
3	Diclofenac Sodium	15307-79-6		relieve pain, reduce swelling and ease inflammation	
4	Esomeprazole	217087-09-7		It's used for heartburn, acid reflux and gastro-oesophageal reflux disease	
5	Fluconazole	86386-73-4		used to treat serious fungal or yeast infections	
6	Levofloxacin HCl	177325-13-2)		Antibiotic	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

7	Mefenamic acid	61-68-7		nonsteroidal anti-inflammatory drugs
8	Pantoprazole sodium	138786-67-1		treat damage from gastroesophageal reflux disease
9	Metformin HCl	1115-70-4		treatment of type 2 diabetes,
10	Paracetamol	103-90-2		headache, muscle aches, arthritis, backache, toothaches, colds, and fevers
11	Rabeprazole	117976-90-6		used to treat certain stomach and esophagus problems
12	Tramadol Hydrochloride	27203-92-5		used to treat moderate to severe pain
13	Tadalafil	171596-29-5		used to treat erectile dysfunction
14	Enoxoparin sodium	679809-58-6		prevent and treat harmful blood clots
15	Heparin Sodium	9041-08-1		treatment of venous thromboembolism and pulmonary embolism;

Land Use Break of Site

S. No.	Particular/Purpose	Existing & Proposed (Sq. M.)	% Existing + Proposed
1.	Temple	22.52	0.757
2.	Machine Room /production Block	57.42	1.93
3.	Raw Material and FG Store	161.3	5.42
4.	DG tin shed	18.25	0.61
5.	Office and Toilet	74.18	2.49
6.	Machine shed	120	4.0
7.	Finished Good Dispatch	172.92	5.81
8.	Solvent Store	36.0	1.21
6.	Green belt	1020.25	34.31
7.	Internal Road and Open Area for proposed plant	1230.91	43.39
Total		2973	100

(A) Statutory compliance:

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act 1986.
2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (if applicable). The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
3. Storage of raw materials, coal etc. shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
4. The DG set (1X200 KVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
5. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608 (E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
6. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall be ensured to **recycled/reused of** water as proposed in the given below table:

S. No	Purpose/Area	Total Quantity KL/day	Recycle KL/Day	Loss/ Evaporation/ up water etc. (KL/Day)/ process generation	Consumption/ Daily Make up water etc. (KL/Day)	Wastewater Generation (KL/Day)
1	Domestic	1.00 Existing +2.00 Proposed	0	0.30 (existing) (proposed) = 0.60	+0.30	0.70 Existing +1.70 proposed=2.40
2	Gardening Land	3.00	0	3.00		00

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	Scape Development				
	Total domestic	6.00	0	3.60	2.40
3	Industrial Purpose				
(i)	DM Plant/Purified water/Reject	6.00	0	0	3.00
(ii)	Process	0.30 Existing +2.70 Proposed =3.00	4*from purified water permeate	1 evaporation loss	0.10 Existing +5.90 proposed =6.00
(iii)	Washing /cleaning	Existing 0.50 + Proposed 2.50 =3.00	0	0.20 Existing + Proposed = 0.60	0.30 Existing + 2.10 Proposed = 2.40
(iv)	Boiler	10.00	8.00 (Boiler condensed)	1.40 Evaporation Loss	0.60 Boiler Blow Down
(v)	Cooling Tower	6.00	3.30 (RO/ MEE Treated water)	1.80 evaporation Loss	0.90 bleed off
(vi)	Scrubber	0.30	0	0	0.30
(vii)	R&D	1.50	0	0	1.50
	Total Industrial	29.80	15.30	4.80	14.70
	TOTAL	35.80	15.30	8.40	17.10

2. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
3. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
4. The High COD/TDS process effluent and RO Reject will be treated through Stripper, MEE, ATFD. The MEE condensates will be send to ETP for further treatment and shall be recycled / reutilized back in plant utility .MEE bottom will be sent to TSDF site
5. The Low COD/TDS effluent along with blowdown from utility and washing activity will be treated in an on-site ETP followed by MVRE, RO& MEE. The treated effluent will be reused/recycled.
6. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises.
7. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

8. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
9. Total fresh water requirement shall not exceed 35.8 KLD.
10. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
11. The Company shall harvest rain water from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the groundwater and utilize the same for different industrial operations within the plant.
12. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG (1 X 200 KVA) set for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The industry shall ensure utilization 30% solar power of total domestic consumption.
3. The total power requirements for project will be 150 KW The power will be supplied by MPPK Vidut Vitaran Company Limited.
4. PP shall explore utilization of green fuel in replace to agro briquette in 01 TPH boiler capacity.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. As proposed, 92-95% solvent recovery shall be achieved and recovered solvent shall be reused in the process.
3. Hazardous wastes such as spent solvents, organic incinerable wastes/residues, used filter bags, packaging materials, rejected/expired raw materials and off specification/ rejected finished products from the manufacturing plants shall be directly sent to TSDF, Pithampur/ Recyclers / Pre or coprocessors
4. The Fly ash generated from boilers shall be stored in Covered shed and disposed of through cement manufacturers or brick manufacturers by bulkers / closed containers and should comply with Fly Ash Utilization Notification, 1999 and as amended subsequently.
5. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
6. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

7. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
8. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is atleast 150mm above the maximum flood level.
9. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
10. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
11. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
12. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
13. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
14. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
15. Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to cement industries. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed off to the TSDF/ Preprocessor.
16. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c. Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.
 - e. Venting equipment through vapour recovery system.
 - f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce waste water generation.

(G) Green Belt

1. Total 250 trees shall be planted in the area of 1020 (33 % of total plot area) which is developed as greenbelt development. Plantation details are as given below:-

Description	Qty.	Location
Forest Trees		
Neem	10	Boundary Wall /Along the road
Putran Jeeva	10	Boundary Wall /Along the road
Amaltash	40	
Ficus Viren	25	Road Main Gate - Admin Block
Satparni	25	Around Admin Block, road & lawn

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Ashoka Tree	25	Around Admin Block, road & lawn
Mehandi	50	Around Admin Block, lawn and around boundary limit (backside of the site)
Kanak Champa	50	
Ra Rani	15	Along internal road
TOTAL	250	200 number of trees shall be around the periphery/road side at outside of the unit

- As proposed 250 nos. of plants shall be planted green belt mainly along the periphery of plot PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
- The additional green belt of 5-10 m width along road sides 200 No . Selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the State Forest Department.
- Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2.5 feet height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature and species as suggested by the committee.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
- The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP & Corporate Environment Responsibility

- The proposed EMP capital cost is Rs. **107.90** lakhs and 41.96 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 11.50 lakhs and Rs. 0.40 5 lakhs is proposed for green belt development.
- Under CER activity, capital cost is Rs. 10 lakhs proposed for following different activities.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Need Based CER activities along with Budgetary Allocation and it's Implementation Schedule						
S. N.	Activities	Budgetary Provision In Lacs (Capital)				
		1st year	2nd year	3rd year	4th year	Total
1	Skill training to provide for 20youth (10 girls and 10 boys) with respect to Chemical and mechanical trade for having employment opportunity in coordination with ITI, Banmore (20x 3000 x 12 month	-	2.40	2.40	2.40	7.20
2.	Provision of fund for Lal Tipara Adrash Gaushala Gwalior of Nagar Nigam, which is operated by Reva Bhaghirathi Trust	2.80	-	-	-	2.80
		2.80	2.40	2.40	2.40	10.00

3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/ violation of the environmental/forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements deviation/violationoftheenvironmental/forest/wildlifennorms/conditionsandorshareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
5. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
6. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

(J) Miscellaneous

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

7. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
8. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
9. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing (if applicable) and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
10. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
11. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 9834/2023 Shri Manish Asati, Project Director, National Highways Authority Of India Indore, 15 Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Indore (MP)-452016, Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park Mine in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP).EIA –PPT.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park Mine in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP) . Cat.- 8(b) Township and Area Development Projects.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC SEAC 649th meeting dated 07.06.2023 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report on the Parivesh portal which was forwarded on line by SEIAA to SEAC hence the same was scheduled in the agenda for EIA presentation.

The EIA was presented by PP Dr. B. Mukhopadhyay Senior Advisor, Deptt. of Environment from National Highways Authority of India Indore and their Env. Consultant Rashmi Gupta, FAE, M/s. Min Mec Consultancy Pvt. Ltd. in the SEAC meeting 692th meeting dated 19.10.2023. Wheein PP submitted that -

- Multi Modal Logistics Parks (MMLPs) are conceptualized to enable seamless intermodal freight/cargo movement and offer multiple functional benefits and services to users

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Features of MMLP facility

- Min. area of 100 acres
- Rail, Port/Airport connectivity
- Higher cargo volumes
- Logistics services like Aggregation, Processing, Assembling, Storage & Distribution.

Project Brief:

- Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), Govt. of India has approved 35 MMLPs locations across the country for development of Multi Modal Logistics Park (MMLP) to reduce the logistics cost.
- Indore is one of the approved location for development of MMLP. Hon'ble Prime Minister has laid the foundation stone for the project on 2nd Oct 2023.
- The project site is located near Pithampur Industrial Area in Kheda, Jamodi & Akolia villages of Pithampur Tehsil in Dhar district and the development is on DBFOT basis.
- State Govt. (Govt. of MP) through MPIDC is providing the land. The award for land acquisition are already accorded by the Land Acquisition Officer (LAO), Dhar district.
- MMLP will facilitate the efficient, cost-effective logistics services like cargo aggregation/disaggregation, distribution, inter modal transfer, sorting, grading, packing, re-packing, Custom clearance etc.

Objective of the MMLP

- Reduction in logistics cost from 14% to less than 10% of GDP at par with international standards.
- **Transportation cost reduction:** Mainly due to modal shift from road to rail for long haul cargo movements and freight movement on higher sized trucks.
- **Pollution reduction:** Due to modal shift from road to rail for long haul cargo movements and freight movement on higher sized trucks. The centralized operation by using modern equipment's and technology, installation and operation of adequate control devices including STP. Further, distribution proposed by using less polluting transport system preferably during lean hours.
- **Congestion reduction:** Entire transport and operation proposed to be done by using ecofriendly manner using change in mode of transport (sizes/capacity) preferably road to rail during lean hours. In addition, Centralization of warehouses and its distribution centers.
- It will promote **hub and spoke model** of transport network compared to point-to-point network.
- It is expected to **lower handling costs** due to presence of best in class modern and mechanized handling infrastructure.
- MMLPs benefit from economies of scale, by creating shared infrastructure and due to availability of more options for selection of competitive and reliable logistics providers.

Land Area Breakup

S. No	Site Area for MMLP	Area (SQM)	Percentage (%)

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

1.	Site area for MMLP	592108	57.34
2.	Rail Siding and Platform	122060	11.82
3.	Office Building	4734	0.46
4.	Commercial Building	21606	2.09
5.	Residential Building	7087	0.69
6.	Green Area	154900	15.00
7.	Internal Roads	130142	12.60
Total Area (Sq.m.)		1032637	100.00
Total Area (ha.)		103.26	

PARTICULARS	DETAILS
Project Activity	8(b) Townships/Area Development Project
Category	Category B1 (area > 50 ha.)
Project Details	
Name of Project	Multi Modal Logistic Park (MMLP) at villages Kheda, Jamodi and Akolia in Pithampur Tehsil in Dhar district of Madhya Pradesh
Location	Kheda, Jamodi and Akolia villages of Pithampur Tehsil in Dhar district of Madhya Pradesh
Name of the Proponent	M/s. National Highway Authority of India (NHAI)
Nature of the Project	Greenfield Project

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Total Plot Area	103.26 ha (Green Cover ~15.49 ha i.e. 15%)
Building Configuration	Warehouses with Rail siding
Waste water generation, treatment and disposal	STP of 425 kLD will be provided, treated sewage water shall be used for horticulture and allied activities
Green Belt	5 m green belt shall be developed all along periphery

Present Land use	Agriculture, Crop land
Eco-sensitive/Protected area	The proposed project neither falling nor having within 10km radius of any ecological sensitive/protected area notified under Wildlife Protection Act 1972
Forest Area	There is no forest land involved in this project
Employment Potential	About 2500 nos. of employment will be generated directly and about 2000 nos. indirectly. Skilled – 3500 and Unskilled - 1000
Water Requirement	Total Water demand is estimated about 1008 kLD (~733 kLD as Fresh Water)
Waste generation/disposal	About 4362 kg/day solid waste will be generated, which will be segregated at designated place within the MMLP. Recyclable waste to be sold to authorized vendors; The entire treated waste water will be reused for horticulture and allied purpose. No liquid waste will be discharge.
Water bodies	RWH Pond is proposed within the project area. Nalla exists adjacent to site.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Trees to be translocated	About 52 trees exists. Efforts will be made to maintain the same. In case required, priority shall be given for trans location. In extreme cases appropriate authority will be approached for cutting permission within compensatory plantation. In addition to above, it is proposed to plant 3000 trees of native species in green belt along the project boundary.
--------------------------	--

Nearest Railway Station	Tihi Railway Station - ~8.2 km Sagore Railway Station - ~6.68 km (Proposed)
Nearest Road	Mhow-Neemuch road (~0.7 km), NH-52 (~9 km) and NH-47 (~16 km)
Nearest Airport	Indore Airport, 33km
State, National Boundaries	Nil
Green /Solar Energy	Provision of Roof Top Solar panels for day time power requirement with connection to GRID Likely solar power generation shall be about 10762 KW.
RWH/Recharge Pit	Pond (1.69Acre) is proposed for RWH in addition to Recharge pits. Water stored in ponds will be used for plantation
Estimated Project Cost	INR 1111 Cr. (Authority investment (GOI, GoMP & RVNL) Rs. 353 Cr & Private Investment (Concessionaire Rs. 758 Cr.)

During discussion PP submitted that it is submitted that the there is no Forest land involved in the proposed project. Hence Forest Clearance is not applicable. PP stated that about 3000 trees of native species shall be planted along the periphery of the project boundary for development of green belt. 15% of the project area is proposed as green area i.e.~15.49 ha . Roof top solar panels with capacity of 10762 KW solar power generations to be installed. The same will be used for day time power requirement of MMLP and if excess, the same will be supplied to GRID. The excavated material shall be re-used within the project site for development of internal roads and landscaping. No external disposal is envisaged. The proposed green belt area is 15.49 ha (15%) the same is depicted in layout plan as well as detailed in the EIA report.

After presentation the committee asked PP to submit following information:

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

1. Submit present status of land with respect to – compliance of the provisions of Land Acquisition Act- 2013, status of mutation etc.
2. Specify the in-house green area development (upto 15% of the total plot area) including tree plantation, lawns and land-scaping, Miyawaki forest, etc.. All features to be depicted on coloured lay-out map. The plantation scheme may be executed through Samajik Vaniki Department, Indore.
3. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print.
4. Bio- fertilizer shall be used instead of chemical fertilizer during plantation written commitment to be furnished.
5. Year-wise revised the CER scheme as suggested by the committee, the proposal should include
 - Infrastructure development in terms of distribution of medical equipments, Ambulance in the Tribal villages of the Dhar region through PHC with physical target and time frame.
 - Proposal to be submitted for water availability for Wild-life in the nearby sanctuaries in coordination with the concerned authorities.
 - River protection for the Bagh River near Bagh caves etc.
 - Feasability of Bio-toilets proposal to be submitted.

3. Case No 9114/2022 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.416 ha. (45,000 cum per annum) (Khasra No. 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)

प्रकरण समिति की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें आवेदित क्षेत्र के वायु गुणवत्ता के परिणाम (पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5 माईक्रोन) आस-पास की गतिविधि को देखते हुए कम प्रतीत हो रहे हैं अतः परियोजना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क के भुगतान के आधार पर वायु गुणवत्ता को डाटा पुनः प्रस्तुत करें ।

प्रकरण को समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को डिलिस्ट करने हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य कर प्रकरण को डिलिस्ट न कर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया। प्रकरण समिति की पूर्व 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गई है ।

सिया की 803वीं बैठक दिनांक 25/08/23 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच का निर्माण एवं प्रस्तावित खनन प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

प्रतीत नहीं होती है तथा ईआईए प्रतिवेदन में पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं कलस्टर मैनेजमेंट प्लान की उपयुक्त नहीं पाया गया है, के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में दिनांक 18/10/23 को श्री अभिषेक सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि बेंच का निर्माण एवं खनन योजना को भौमिकी एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय प्रमुख जबलपुर द्वारा अनुमोदित किया गया है। खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच की लम्बाई एवं चौड़ाई दर्शाते हुए जो वर्ष-वार प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत किया गया, उसके फीचर लीजेन्ड से मिलान नहीं करते अतः परीक्षण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं :-

1. सर्फेस प्लान के इंडेक्स में भिन्नता है। अतः खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच की लम्बाई एवं चौड़ाई दर्शाते हुए वर्ष-वार प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।
2. समिति के द्वारा सुझाये गये अनुसार कलस्टर मैनेजमेंट प्लान।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

4. **Case No - 9318/2022 M/s Alakhananda Stone Mill, Partner Shri Rajeev Gupta, Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510 Prior Environment Clearance for Stone Query in an area of 4.650 ha. (Total Production – 2,50,000) Stone, Boulder – 1,50,000 cum per annum, M-sand – 1,00,000 cum per annum (Khasra No. 151 Village - Dhujaura, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP))**

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रश्नाधीन खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः पश्चिमी दिशा में लगभग 100 मी. की दूरी पर पक्का रोड़ होने के वजह से स्थानवार मापदंड अनुसार सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है जिसको सर्फेस मेप में दर्शाते हुये स्पष्ट करें कि इस खदान में खनन योग्य क्षेत्र कितना उपलब्ध होगा।
2. प्रस्तुत सर्फेस मेप में सेटलिंग टैंक की स्थिति एवं रिटेनिंग वॉल की स्थिति तथा एम.सेण्ड प्लांट की स्थिति नहीं दर्शायी गई है अतः टोपोग्राफी अनुसार सेटलिंग टैंक की स्थिति सर्फेस मेप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
3. सेटलिंग टैंक की एवं रिटेनिंग वॉल में होने वाले व्यय को ई.एम.पी. में आवश्यक बजट के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित एम. सेण्ड प्लांट प्रोसेस के फ्लो डायग्राम के साथ स्लरी का मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करें।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

5. स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत नहीं की गई है अतः बैरियर जोन में ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाईल मय जियोटेग फोटोग्राफ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण समिति की 666वी बैठक दिनांक 04/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गई थी ।

सिया की 803वीं बैठक दिनांक 25/08/23 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है तथा 100 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क परिलक्षित है । सेक द्वारा प्रकरण क्रमांक 10275/23 में खदान पहाड़ पर स्थित होने के कारण अनुशंसा नहीं की गई है जबकि प्रस्तावित खदान भी पहाड़ पर स्थित है, जिसमें टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई है । अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में सेक से पुनः परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष में प्रकरण दिनांक 19/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है वह समीपस्थ सर्फेस से लगभग 37 मी. की ऊँचाई पर है तथा 100 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क परिलक्षित है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 200 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है। इस प्रकरण में पहाड़ी के एक ही ओर खनन कार्य प्रस्तावित है एवं रोड से स्थान मापदण्ड अनुसार सेटबैक प्रस्तावित है।

सेक द्वारा प्रकरण क्रमांक 10275/23 में खदान पहाड़ पर स्थित होने के कारण अनुशंसा नहीं की गई थी। उक्त प्रकरण में लम्बी पहाड़ी होने से प्रस्तावित खनन क्षेत्र पहाड़ को 02 भाग में बांट रहा है एवं खदान के पूर्व एवं पश्चिमी दिशा में मौसमी नाला का बहाव परिलक्षित होता है एवं इसके कारण से पूरे क्षेत्र में जल बहाव की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए टॉर जारी करने की अनुशंसा नहीं की गई थी।

अतः समिति द्वारा प्रकरण में 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को प्रेषित अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है ।

5. **Case No 10026/2023 Shri MRITUNJAY SINGH, PROPRIETOR, M/S JAI MAHAKAL CONSTRUCTION, Village Mohari Post Padarha, Tehsil Ajaygarh District Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Atarhai Flagstone , Boulder & M-Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (Flagstone-1602, Boulder-1202, M-Sand-1001 cum per year) (Khasra No. 3838, 3839, 3843), Village-Atarhai, Tehsil-Shahnagar, District-Panna (MP)**

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

प्रकरण समिति की पूर्व 664वीं बैठक दिनांक 28/07/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे :-

- बैरियर जोन में 05 से 06 स्थानों में स्वाईल प्रोफाईल का फोटोग्राफ के साथ पौधारोपण स्कीम।
- खदान क्षेत्र में एम-सेण्ड प्लांट प्रस्तावित है। अतः जल स्रोत की जानकारी के साथ पानी प्रदाय संबंधी ग्राम पंचायत से स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- फेसिंग कॉस्ट को जोड़ते हुये पुनरिक्षित ई.एम.पी.।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण में समिति की 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रेषित की जा चुकी है।

सिया की 806वीं बैठक दिनांक 21/09/23 को अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदानें स्वीकृत/ संचालित हैं, जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होता है, जो कि बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना द्वारा दिए गए एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 445 दिनांक 10/04/23 के के माध्यम से 500 मीटर में 01 अन्य खदान 1.80 हे. की स्वीकृत/संचालित होना बताया गया है। उपरोक्तानुसार प्रकरण में सेक से पुनः परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष में प्रकरण दिनांक 19/10/23 को परियोजना प्रस्तावक मृत्युंजय सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी का अद्यतन पत्र क्र. 1798 दिनांक 18/09/2023 प्रस्तुत किया। पत्र में उल्लेख है कि 500 मी. की परिधि में कुल 03 खदानें स्थित हैं, जिनका कुल रकबा 4.80 है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी अंतर्गत आता ही है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण में 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को प्रेषित अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

6. Case No 10590/2023 Shri Lokesh Patidar, Lessee, R/o Chikalaa Marg Colony, Ward No. 1, Kukshi, District-Dhar (MP)-453331, Prior Environment Clearance for Sondwa Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (17640 cum per year) (Khasra No. 1123), Village-Sondwa, Tehsil- Sondwa, District- Alirajpur (MP). DEIAA to SEIAA Case.

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri LOKESH PATIDAR, Lessee, R/o- Chikalda Marg Colony ward no.1, Kukshi, District- Dhar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1123 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village-Sondwa, Tehsil- Sondwa, District- Alirajpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के क्रमांक 357 दिनांक 04/06/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 264 दिनांक 05/08/17 के द्वारा पत्थर-17,640 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-17,640 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-17,640 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 794 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 794 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 794 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सोण्डवा जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 04/09/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	क्रमांक-11 दर्ज है ।
--	----------------------

यह प्रकरण समिति के समक्ष री-एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र क्र०. 264 दिनांक 05/08/17 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

7. Case No 9650/2023 Shri Nitish Chaturvedi, Owner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur, Madhya Pradesh 471001. Prior Environment Clearance for Budore Stone & M-Sand Quarry in an area of 11.00 ha. (Production expansion 1.5 LTPA to 4 LTPA) (Stone –1,71,428 cum per year and M-Sand –1,14,285 cum per year) at (Khasra No. 1293), Village-Budor, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)

प्रकरण क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, M/s Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारियों के आधार पर परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Nitish Chaturvedi, Owner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur, Madhya Pradesh 471001.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1293 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	11.00 hectare.
स्थल	ग्राम BUDHOR तसहील Chhatarpur जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 12598 दिनांक 16/04/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 476 दिनांक 19/05/23 के द्वारा संशोधित टॉर पत्थर एम सेंड-2,85,713 घनमीटर (पत्थर-1,71,428 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-1,14,285 घनमीटर/वर्ष) जारी किया गया है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, सिया के पत्र क्रमांक 1943 दिनांक 12/11/13 द्वारा पत्थर-1,50,000 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी की गई थी। क्षमता विस्तार 1.5 Lakh TPA to 4.0 Lakh	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone & M-Sand - 1.5 Lakh TPA to 4.0 Lakh TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4,00,000 टीपीए (पत्थर-2,40,000 टीपीए एवं एम-सेंड-1,60,000 टीपीए) है ।	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 13/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 26.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 13/10/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 13/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बूदौर जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-02 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण-पश्चिमी दिशा- जल रोकने की संरचना स्थित होने के कारण 100 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरा प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।

समिति ने परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:-

1. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाय की गई शर्तों का प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. ओवर वर्डन डम्पिंग का सर्वेस मेप में दर्शाकर प्रस्तुत करें।
3. खदान क्षेत्र के अन्दर से लगभग 15 से 20 स्थानों की स्वाइल प्रोफाइल जिओ टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें।
4. खदान क्षेत्र के चारों ओर से फेंसिंग दर्शाते हुए जिओ टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें।
5. सामाजिक आर्थिक कार्यों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित कार्यों जैसे- रोड़, चारागाह विकास आदि गांव का नाम दर्शाते हुए जिओ टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

6. खदान क्षेत्र में जहाँ स्वाईल न होने के कारण वृक्षारोपण संभव न हो वहाँ स्वाईल प्रोफाईल के साथ जिओ टेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करें तथा योग्य स्थानों पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

8. Case No 10589/2023 Smt. Nazma Insaf W/o Mohammad Insaf, Owner, R/o BP 73, Lake Pearl Garden, Airport Road, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462030, Prior Environment Clearance for Ratanpur Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (34779 cum per year) (Khasra No. 842), Village-Ratanpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP). (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री नजमा इंसफ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	NAZMA, OWNER, W/o Mohammad insaf BP 73- Lake Pearl Garden Airport Road Tehsil Huzur, Nayapura Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	842 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Ratanpur, Tehsil huzur, District Bhopal (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 13043-44 दिनांक 23/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर पूर्व में डिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का जिक्र है, किंतु डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति अपलोड नहीं है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-34,779 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-34,779 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2529 दिनांक 21/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 08.00 हे. होता है, अकार्यशील खदान संचालित न होने के कारण निरस्त की जा चुकी है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

अनापत्ति	क्रमांक 2529 दिनांक 21/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2529 दिनांक 21/07/23 अनुसार निस्तारित तालाब की दूरी 500 मीटर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रसूलिया पठार जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 18/08/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 3014 दिनांक 11/09/23 के अनुसार अग्रिम डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा को सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री-एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

17. Carbon footprint.

18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

9. Case No 9445/2022 Shri Pawan Kumar Tiwari, Partner, M/s Sky Light Infrastructure, Village- Harraha, Post- Bahera, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (49875 Cum per year) (Khasra No. 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/ka, 42/1, 42/3/ka, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 & 26/1), Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (M.P.).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Pawan Kumar Tiwari, Partner, M/s SKY LIGHT INFRASTRUCTURE, Village- Harraha, Post- Bahera, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/k, 42/1, 43/3/k, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2, 26/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड, परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	3.00 hectare.
स्थल	Village-Harraha, Tehsil- Mahuganj, District- Rewa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 7066-68 दिनांक	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	19/05/22 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 3241 दिनांक 28/03/23 के द्वारा पत्थर-49,875 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है और खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, खदान को दिनांक 19/05/22 को लीज स्वीकृत, दिनांक 28/03/23 को टॉर जारी किया गया है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-49,875 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-49,875 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.274 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/22 अनुसार 150 मीटर पर नदी/नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हर्रहा जिला-रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/07/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुल 10 पेड़ हैं, जिसमें से 02 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कच्चा रोड़ - 40 मी. पर है 10 मी. का सेटबैक प्रस्तावित एवं प्राकृतिक नाला - 40 मी. 10 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है ।
	दक्षिण दिशा- पक्का रोड़ - 30 मी. पर है 70 मी. का सेटबैक प्रस्तावित
	पूर्व दिशा- आबादी- 110 मी. एवं हट्स- 15 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र निजी भूमि पर है एवं इन हट्स में कोई भी निवासरत् नहीं है ।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

जन सुनवाई	वृक्षारोपण, रोजगार, गांव के लिये पीने का पानी, इत्यादि आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-80 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-49,875 मी³ प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर अथवा एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है । अतः खदान क्षेत्र में कशर अथवा एम सैंड प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. लीज क्षेत्र के आस-पास की संवेदनशीलता के दृष्टिगत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है और खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा । अतः खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रतिबंधित रहेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.23 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
हराहा गांव में हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ कांक्रिटिंग करवा कर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट की व्यवस्था करवाई जावेगी ।	1,00,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कमवृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए महुआ अचार आदि	1100
2	गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए महुआ अचार आदि	300
	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- करंज, पीपल,	20

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब, इत्यादि।	
ग्राम दुधमनिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	100
पास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	2100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।		
		कुल 3620

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 9439/2022 Shri NARENDRA SIHARE, Owner, Prop: Pooja Mineral] Tilak Ward, Ward no. 20, Civil Line, Mandla (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 1.21 ha. (19177 TPA) (Khasra No. 846/2, 846/3, 847/2), Village - Mugdara, Tehsil - Nainpur, Dist. Mandla (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय सोनकुशरे, माइंस मैनेजर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri NARENDRA SIHARE, Owner, Prop: Pooja Mineral] Tilak Ward, Ward no. 20, Civil Line, Mandla (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	846/2, 846/3, 847/2 (निजी आदिवासी-नॉन फॉरेस्ट लैंड स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.21 hectare.
स्थल	ग्राम Mugdara तसहील Nainpur जिला Mandla (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र दिनांक 25/05/07 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 05/01/23 के द्वारा डोलोमाइट-16,517 टीपीए एवं होव्हर वर्डन-2660 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	परियोजना प्रस्तावक को लीज दिनांक 05/12/07 के द्वारा 50 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिया में दिनांक 07/11/2015 को प्रकरण क्रमांक 4288/2015 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन सिया की 316वीं बैठक दिनांक 11/04/16 के दौरान को डिया में स्थानांतरित किया गया। डिया स्तर पर प्रकरण के परीक्षण में पाया गया एवं आवेदित क्षेत्र से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र होने से परियोजना हेतु फॉरेस्ट अनुमति चाही गयी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयुक्त स्तर की समिति से फॉरेस्ट अनुमति दिनांक 03/02/2020 को प्राप्त की गई । इस दौरान भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डिया को भंग कर दिया गया । डिया समिति भंग होने के पश्चात परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिया में प्रकरण क्रमांक 9439/2022 के माध्यम से आवेदन किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में सिया के पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 05/01/23 के द्वारा टॉर जारी किया गया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-16,517 टीपीए एवं होल्डर वर्डन-2660 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट-16,517 टीपीए एवं होल्डर वर्डन-2660 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1977 दिनांक 01/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.83 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1977 दिनांक 01/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं और आवेदित स्थल आर.एफ.-703 की सीमा लाईन से 48 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर की बैठक दिनांक 03/02/20 से खनि रियायत हेतु प्रस्तावित/स्वीकृति क्षेत्र के चारों ओर/वन सीमा की ओर चैनलिंग-फेंसिंग करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

अनापत्ति	क्रमांक 1977 दिनांक 01/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-11 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- 72 मी. पर आबादी है। परियोजना प्रस्तावक ने कमिटमेंट दिया कि गांव वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं है।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है ।

PP submitted chronology and brief about the lease area :

- The mining lease was operated by lease M/s Pooja Mineral, Tilak ward, Civil line, Mandla (M.P.). The mining lease was granted for 50 years period w.e.f. 05.11.2007 to 04.11.2057.
- PP was applied at SEIAA for obtaining EC in the year 2015 (date of application-7.11.2015 (case no.4288/2015). As per the notification of MoEF&CC dated 15.01.2016, SEIAA transferred the case to DEIAA in 316th SEIAA meeting dated 11.04.16.
- Case transferred to DEIAA, Mandla vide letter no. 633-34/SEIAA/16 dtd. 13-04-2016. Copy of list of transferred case to DEIAA is shown next slide.
- After submission of case in front of DEIAA, DEAC is observed that forest comes within 250m from the lease area and DEAC asked to PP for submission of the NOC from the committee of Commissioner wrt proximity of forest.
- PP has received NOC vide dated 03.02.2020, till then DEIAA was dissolved by the MoEF&CC. hence PP has applied again at SEIAA on dated 18.11.2022 and ToR issued by SEIAA vide letter no. 2483/SEIAA/23 dated 5.1.2023 .
- No villages or habitation is observed along the approach road. Numbers of mine observed in within 500m radius and pakka road will be construct with cooperation of all mine's owners. Presently 500no of sagoon trees already planted within lease area and About 500 trees i.e. Aam, Munga, Jam, Mahua were distributed to villagers

With reference to above mentioned subject, a tola of 8 to 10 house are located 80 mtrs away from the lease area in NW direction. PP has submitted that these houses are labours working in the proponents mine . However PP also expalined the balsting technique to be adopted for this mine that there is considerable difference between blasting phenomena as far as stone queries are concerns.

"In case of dolomite, depth of blasting is maximum 5 feet which is called excel blasting, whereas in case of stone quarries depth of blasting is 10mtrs (30 ft) which is called deep hole blasting.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

In case of excel blasting for dolomite, only 2 gelatin rod and 01 duel deck with r is used and therefore dolomite rock is goes up to 40 ft only , whereas in case of crusher stone, 3 to 4 gelatin rods, 01 duel deck, detonator, ammonium nitrate is used resultant that stone fragment fly up 150 feet.

If deep hole blasting is done in case dolomite/ limestone etc, the mineral rock will be turned into powdered and cannot be sale out. "

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-16,517 टीपीए एवं होव्हर वर्डन-2660 टीपीए ।
2. क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में निम्न प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
3. लीज क्षेत्र वन सीमा से मात्र 48 मी. दूर बताया गया है। अतः इस ओर की सीमा में चैनलिंग फेन्सिंग स्थापित की जावे।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.01 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.75 लाख के सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	Issues	Cost in lakh
1	One warmer machine, one AC (2tonne), 2 complete bed, at primary Health center of Mugdara.	2.50
2	Half yearly free health check-up camp for villagers i.e. Mugdara etc.	0.25
Total		2.75Lakh

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	In barrier zone (400mx 7.5m= 3000sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	300
2	Bund area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	300
3	Along the transport route (500m) 2.5m distance with 1m height	Khamar, Neem, Chirol Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	400
4	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1000
			कुल 2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये ।
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10587/2023 Shri Anand Yadav, Lessee, R/o 209, B, Tulsi Nagar, District- Indore (MP)-452003, Prior Environment Clearance for Sangwada Stone & Murrum Quarry in an area of 1.27 ha. (12500 cum per year & Murrum-2700 cum per year) (Khasra No. 538/1, 538/2), Village-Sangwada, Tehsil-Pandhana, District-Khandwa (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri ANAND YADAV, Lessee, R/o- 209 B Tulsi Nagar Indore District- Indore (M.P.)

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	538/1 & 538/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक को भू-स्वामी की सहमति प्राप्त)	1.27 hectare.
स्थल	Village Sangwada, Tehsil- Pandhana, District- Khandwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 454 दिनांक 26/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् रॉक ब्रेकर से किया जावेगा ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, खदान को दिनांक 26/06/23 को लीज स्वीकृत ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-12,500 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-2700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-12,500 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-2700 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 753 दिनांक 28/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 753 दिनांक 28/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 753 दिनांक 28/08/23 अनुसार 10 मीटर की दूरी पर शासकीय रास्ता एवं दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर शासकीय नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत संगवाड़ा जिला खण्डवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 07/09/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -02 Tree Felling - No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान वर्ष 2013-14 से खुदी हुई है और उन्हे ऐसी स्थिति मे प्राप्त हुई है ।	
	उत्तर दिशा- कच्ची रोड- 50 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है । दक्षिण-पश्चिम दिशा- प्राकृतिक नाला 45 मी स्थित है जिसके लिये 05 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

की स्थिति	क्रमांक 753 दिनांक 28/08/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
-----------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया खदान क्षेत्र के अंदर केशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-12,500 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-2700 घनमीटर/वर्ष।
2. प्रस्तावित केशर हेतु वायु प्रदूषणरोधी उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे तथा इस संबंध में अद्यतन मार्गदर्शिका का पालन किया जायेगा।
3. खदान की खेतों की ओर सीमा पर मेंहदी, करोंदा, मीठी नीम आदि की लाईफ फेंसिंग की जाये।
4. यदि अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग अदिवासी व्यक्ति हो तो क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में निम्न प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.36 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख के सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम संग वाडा में स्थित शासकीय विध्यालय में 2 कंप्यूटर, 2 टेबल तथा 1 प्रिंटर प्रदान किये जावेंगे.	60,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1550 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	मीठीनीम , करोंदा व मेहँदी के 1 मीटर लम्बे झाड़/पेड़ तीन पंक्तियों में लगाए जावेंगे (घना पौधरोपण)	1550 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
कुल			1550 पौधे

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

12. Case No 10586/2023 Shri Bhagvati Lal Kumawat, Lessee, R/o Village-Mawta, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)-457340, Prior Environment Clearance for Nandwel Stone Quarry in an area of 1.923 ha. (Stone-10000, M-Sand-10000 cum per year) (Khasra No. 393/2), Village-Nandwel, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री भगवती लाल (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri BHAGVATI LAL, Lessee, R/o- Village- Mawta, Tehsil- Piploda,

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	District- Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	393/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.923 hectare.
स्थल	Village- Nandwel, Tehsil- Daloda, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1213 दिनांक 13/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं उत्खनन रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, खदान को दिनांक 13/07/23 को लीज स्वीकृत ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-10,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.846 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 04/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नांदवेल जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -07 Tree Felling – NO	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के 500 मी. की परिधि में पूर्व दिशा, उत्तर-पश्चिम दिशा, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में पवन चक्की— क्रमशः 119 मी., 190 मी., 300 मी. एवं 410 मी. की दूरी पर स्थित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 04/08/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र के 500 मी. की परिधि में पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में पवन चक्की— क्रमशः 119 मी., 190 मी., 300 मी. एवं 410 मी. की दूरी पर स्थित है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गूगल इमेज नवम्बर 2022 के अनुसार चूँकि प्रस्तावित खदान के आस-पास एक-दो नहीं बल्कि कई विंड मिल (लगभग 04) स्थापित हैं तथा और प्रस्तावित हो सकती है। अतः संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर अपनी अनुशंसा से सेक समिति को अवगत कराये।

13. Case No 7392/2020 Shri Kumar Harsh, Director, M/S SPEED INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD., S-4 & S-6 Second Floor, city centre, pessa complex, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 8.0 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 278 Part), at Village – Lalpur, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कुमार हर्ष एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म. प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Kumar Harsh, Director, M/S SPEED INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD., S-4 & S-6 Second Floor, city centre, pessa complex, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	278 part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	8.00 hectare.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

स्थल	Village- Lalpur, Tehsil- Rajnagar District Chhatarpur (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 84 दिनांक 10/01/20 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
टॉर	सेक के पत्र क्रमांक 4518 दिनांक 21/08/20 के द्वारा ग्रेनाइट-10,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, परियोजना को दिनांक 10/01/2020 लीज स्वीकृत हुई है तथा दिनांक 21/08/2020 को टॉर जारी किया गया है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट-26,500 टीपीए एवं सेलेबल वेस्ट-1,06,000 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार ग्रेनाइट-10,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 01/07/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 44.65 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 01/07/20 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 01/07/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नाला इत्यादि नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ललपुर जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 08/03/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड 342 मी.
	दक्षिण- पश्चिम दिशा - एक मकान स्थित है - 81 मी. का सेट बैक प्रस्तावित है ।
	उत्तर- पूर्व दिशा - एक शेड़ स्थित है - 220
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-201 एवं 202 के सरल क्रमांक-72 पर दर्ज है ।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि से खनन कार्य वॉयर-शॉ विधि से किया जावेगा परियोजना में ब्लास्टिंग कार्य प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट-10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन कार्य वॉयर-शॉ विधि से किया जावेगा ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 34.49 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 13.44 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 13.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Providing fund to Gram panchayat for infrastructural/ developmental work, like bore well for drinking water supply, Redevelopment of Ganesh Temple, Excavation of Pond for water harvesting with plantation along the bund	Rs 5 Lacs
Providing fund to school for infrastructure like books, furnitures, equipments etc	Rs 3 Lacs
Providing fund to PHC of Lalpur for essential requirement like warmer, additional beds etc	Rs 3 Lacs
Providing fund to Kanha Tiger reserve for wild life habitat development and welfare activities	Rs 2 Lacs

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 12540 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Along with barrier zone having area of 0.60ha	Neem, White Kastar, Gutmar Ki Bel, Chirol, Khamar and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	1200
2	Along the garland drain (3 no)	Agaive Americana, Khas Slips, Neem, Chirol, and other local species etc.	1000
3	Over bench area and backfilled area	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chirol, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	8000
4	Road Side and For village distribution	Karanj, Munga, Neeem, Chirol, Sitafal, Jamun and other local species etc.	2340

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

कुल	12540
------------	-------

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 10613/2023 Shri Tanish Yadav, Project Proponent, H.No. 33, Ward No. 22, Dinesh Ganj (Daru Godam), Sendhwa, District-Barwani (MP)-451666, Prior Environment Clearance for Shahpura Stone Quarry in an area of 3.62 ha. (24700 cum per year) (Khasra No. 3/1/1/1/1/1/2, 3/1/9, 3/1/10), Village-Shahpura, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री तनिश यादव (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	TANISH YADAV, Project Proponent, H. No. 33, Ward No. 22, Dinesh Ganj (Daru Godam) Sendhwa, District -Barwani (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	3/1/1/1/1/1/2, 3/1/9 & 3/1/10 3.62 hectare. (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village-Shahpura, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 1895 दिनांक 20/07/23 के द्वारा स्वीकृत।
श्रेणी (बी-1/ बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया/ क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, परियोजना को दिनांक 20/07/2023 को लीज स्वीकृत हुई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-24,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-24,700 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 01/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 01/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 01/09/23 अनुसार एक घर, कच्चा रास्ता एवं 400 मीटर की दूरी पर नहर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत शाहपुरा जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— खदान के पास आबादी दिख रही है। पूर्व दिशा— पक्का रोड़—350 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 01/09/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल इमेज के आधार पर समिति ने पाया कि दक्षिण दिशा में खदान के पास आबादी दिख रही है। अतः इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई है:—

- खदान के दक्षिण दिशा के समीप आबादी दिख रही है अतः इस संबंध में राजस्व विभाग/खनिज विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणिक जानकारी एवं तदनुसार सेटबैक दर्शाते हुये सर्फेस प्रस्तुत करेंगे ।
- खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच की लम्बाई एवं चौड़ाई दर्शाते हुए वर्ष-वार प्रोडक्शन मैप ।
- पुनरिक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- खदान क्षेत्र की स्वाईल प्रोफाईल ।
- पुनरिक्षित सी.ई.आर. योजना ।

15. Case No 8635/2021 Shri Yash Jain, Proponent, M/s KASAI STONE QUARRY, Village Kasai, Teh: Lakhnadon Dist. Seoni (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

**Quarry in an area of 4.66 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 294, 297, 298/2),
Village - Kasai, Tehsil - Lakhnadon, Dist. Seoni (MP)**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री यश जैन(ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Yash Jain, Proponent, M/s KASAI STONE QUARRY, Village Kasai, Teh: Lakhnadon Dist. Seoni (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	294, 297 & 298/2, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.66 hectare.
स्थल	Village:- Kasai, Tehsil:- Lakhnadon, District:- Seoni (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 20/11/20 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 26/02/22 के द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, परियोजना को दिनांक 20/11/2020 को लीज स्वीकृत हुई है तथा दिनांक 26/02/2022 को टॉर जारी किया गया है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2370 दिनांक 04/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.56 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सिवनी वन मण्डल, सिवनी (म.प्र.) पत्र क्रमांक 1943 दिनांक 27/08/20 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय न्यायालय तहसीलदार, लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 619 दिनांक 22/08/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कसई जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 17/08/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -03 Tree Felling – No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण – पूर्व दिशा— आबादी एवं पक्का रोड होने के कारण परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 200 मी. का क्षेत्र गैर खनन के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई में प्राप्त आपत्तियाँ/ सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 36 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र के आस-पास संचालित खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज (मार्च 2020) के अनुसार एक छोटे क्षेत्र में खनन कार्य परिलक्षित हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई है—

1. पूर्व हुए खनन कार्य के संबंध में जिला खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. खनन योजना में जो कास सेक्शन दर्शाये गये हैं वे प्रोडक्शन प्लान से मिलान नहीं हो रहे हैं। अतः पुनरिक्षित कास सेक्शन/ प्रोडक्शन प्लान ।
3. गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की साईज, संख्या एवं सड़क के मरम्मत का बजट दर्शाते हुये पुनरिक्षित ई.एम.पी. योजना ।
4. ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना
5. पुनरिक्षित वृक्षारोपण योजना ट्री गार्ड का बजट दर्शाते हुये पुनरिक्षित ई.एम.पी. योजना ।
6. हायर सेकेण्ड्री स्कूल के विकास में अधोसंरचना के लिए पालक शिक्षा संघ में सहायता के लिए पुनरिक्षित सी.ई.आर. योजना ।

16.Case No 9620/2023 Sarita Singh, Partner, SHIV KRIPA ASSOCIATES, M.I.G.2-421, Near Housing board office Priyadarshini Nagar Jamodi District- Sidhi (M.P.), Prior Environment Clearance for Beeradei Stone Quarry in an area of 1.400 ha. (21,090 Cum

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

per annum) (Khasra No. 316/6, 316/7), Village-Beeradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक सरिता सिंह (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Sarita Singh, Partner, SHIV KRIPA ASSOCIATES, M.I.G.2-421, Near Housing board office Priyadarshini Nagar Jamodi District- Sidhi (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	316/6 & 316/7 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.40 hectare.
स्थल	Village.-Beeradei Tehsil- Hanumana, District- Rewa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2451 दिनांक 01/08/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/ बी-2)	बी-1	
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 3173 दिनांक 21/03/23 के द्वारा पत्थर-21,090 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, परियोजना को दिनांक 01/08/2022 को लीज स्वीकृत हुई है एवं दिनांक 21/03/2023 को टॉर जारी किया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-21,090 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-21,090 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8729 दिनांक 22/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.048 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8729 दिनांक 22/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8729 दिनांक 22/12/22 अनुसार अदवा नदी 100 मीटर दूरी एवं कच्चा रास्ता 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

	नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बीरादेई जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 01/03/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 02 पेड़ हैं जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— कच्चा मकान 185 मीटर, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन मकानों में रहवास नहीं है एवं उत्तर दिशा में 245 मीटर पर नदी स्थित है । पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला 100 मीटर ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान जो आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-35 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-21,090 मी³ प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. प्रस्तावित कशर हेतु वायु प्रदूषणरोधी उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे तथा इस संबंध में अद्यतन मार्गदर्शिका का पालन किया जावे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.71 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.01 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बीरादेई में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंड पंप लगवाने साथ ही साथ कांक्रिटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाया जावेगा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से लगवाया जावेगा	70,000/-
ग्रामबीरादेईकेगाँववासियों के लिए रोगीकल्याणसमिति के कल्याण के लिए एवं सरचना विकास के लिए ग्रामपंचायत के खाते में 6 माह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जावेगा	30,000/-

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1680 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँजैसे:-कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगाहाइब्रिडए महुआअचारआदि	470 पौधे
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँजैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियाँजैसे:-करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब, इत्यादि।	150 पौधे
	ग्राम दुधमनिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँजैसे:-पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	110 पौधे
	पास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँजैसे:-आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड अचार आदि	1000पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			
कुल			1680

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No 10614/2023 Shri Mukesh, Authorized Person, M/s Kalyan Toll Infrastructure Limited, R/o 47, Somani Nagar, Aerodrum Road, District-Indore (MP)-452005, Prior Environment Clearance for Mordad Khurd Stone Quarry in an area of 3.45 ha. (Gitti-75000, M-sand-50000, Murrum-45817 cum per year) (Khasra No. 119/1, 119/2, 120/1, 120/2/1, 120/2/2), Village-Mordad Khurd, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur (MP)

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Mukesh Jain, Authorized Person, M/s KALYAN TOLL INFRASTRUCTURE LIMITED, R/o-47 Somani Nagar Aro dram road Indore, (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	119/1, 119/2, 120/1, 120/2/1 & 120/2/2 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.45 hectare.
स्थल	Village- Mordad Khurd, Tehsil- Burhanpur, District- Burhanpur (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 833 दिनांक 28/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, परियोजना को दिनांक 28/08/2023 को लीज स्वीकृत हुई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-75,000 घनमीटर/वर्ष, एक-सैंड-50,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-45,817 घनमीटर /वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-75,000 घनमीटर/वर्ष, एम सैंड-50,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-45,817 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 927 दिनांक 19/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 927 दिनांक 19/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 927 दिनांक 19/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुखपुरी जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 02 पेड़ हैं जिन्हें काटा नहीं जायेगा ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 927 दिनांक 19/09/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टे को नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि केशर एवं एम.सेड प्लॉट खदान क्षेत्र के बाहर स्थापित किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-75,000 घनमीटर/वर्ष, एम सैंड-50,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-45,817 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में केशर अथवा एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ।
अतः खदान क्षेत्र में केशर अथवा एम सैंड प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.42 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत मोरदड खुर्द में अधोसंरचना विकास योजना हेतु सहयोग राशी प्रदान की जावेगी	1,40,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4150 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	---------------------

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आम,कटहल,मुनगाहाइब्रिड, महुआअचारआदि	825 पौधे
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपलआदि।	160 पौधे
	ग्राममोरदड खुर्दमेंस्थित शासकीय विद्यालय के पासउपलब्ध क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50 पौधे
	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहलआदि।	3115पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			
			कुल 4150

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 9151/2022 Smt. Kalibai Wasunia, Owner Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain MP Prior Ammenment in Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 7.0 ha. (Stone Gitti -60000 cum per annum & M Sand 140000 cum per annum) (Khasra No. 311), Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म-4 के साथ लीज आर्डर, ईएमपी, पीएफआर, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संशोधित माइन प्लान प्रस्तुत कर पत्थर-60,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-1,40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में सिया द्वारा EC Identification No.-EC23B001MP195718 Date of Issue EC-17/05/2023 द्वारा पत्थर-2,00,000 घन मीटर/वर्ष हेतु श्रीमती कालीबाई वसुनिया के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 19/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री कालीबाई वसुनिया, यूनिट हेड (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

During presentation PP submitted they have applied for prescribed form for EC for Amendment due to addition of M-Sand Plant in the lease area for the Proposed production capacity ROM 2,00,000 cum per annum (Stone 60,000 Gitti & 1,40,000 M – Sand) .

The Mining Plan & Progressive Mine Closure Plan was prepared and submitted to competent authority for approval Under Rule 42 (C) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule 1996. The same was approved by Regional Head Geology & Mining Department Indore (MP) Indore vide letter No. 38298 dated 29.06.2023. The mining lease does not fall under forestland, Similarly, there are no National parks Sanctuaries, Biosphere reserves, etc within a distance of 10km around the lease area. A letter to this effect (Ekal Praman Patra) has been issued by the Collector Office(Khanij Branch) ,Ujjain (M.P.) vide Letter no. 568Khanij / 2022 - 23 Ujjain dated 18-04-2022.

उपरोक्त के तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना हेतु संशोधित पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों संशोधित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-60,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम. सैंड-1,40,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 39.52 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.42 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुणाई खेड़ा में रंग रोगन , बच्चों को पाठ्यसामग्री एवं गणवेश दिए जायेंगे	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 700 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, कनार, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	550

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(2900 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	1500
3	गुनाई खालसा, उमरिया, पिपलिया, गुण्डई, सुतली गांवों के प्राथमिक शासकीय विद्यालय में पौधे लगाये जायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	2500
4	गुनाई खालसा, उमरिया, पिपलिया, गुण्डई, सुतली गांवों के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	3850
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			कुल 8400

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

19.Case No 10604/2023 Ms Mamta Patel D/o Shri Babulal, Lessee, Tehsil-Indore, District-Indore (MP)-452016, Prior Environment Clearance for Malikhedi Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (Stone-7000, Overburden-6669 cum per year) (Khasra No. 199/1/2), Village Malikhedi, Tehsil Bicholi Hapsi District Indore (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री ममता पटेल (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	MAMTA PATEL, Lessee, Village- Asravad Buzurg, Tehsil- Indore, District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	99/1/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.80 hectare.
स्थल	Village Malikhedi, Tehsil Bicholi Hapsi District Indore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 03/02218 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया/क्षमता विस्तार	परियोजना प्रस्तावक ने वॉयलेशन के अंतर्गत टॉर हेतु आवेदन किया है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-7,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हर बर्डन-6,669 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-7,000 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट-6,669 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.60 हे. होता है परंतु परियोजना प्रस्तावक ने वॉयलेशन टॉर में आवेदन किये जाने के कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/22 अनुसार रालामण्डल अभ्यारण्य 4.96 कि. मी. की दूरी पर है और वन मण्डलाधिकारी के पूर्व पत्र क्रमांक 9386 दिनांक 04/10/17 अनुसार दिनांक 07/10/02 के अनुसार वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी आदेश के पूर्व से स्वीकृत खदानों पर लागू नहीं होंगे, पर उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़ियाकीमा जिला इंदौर के पत्र दिनांक 10/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-48 के सरल क्रमांक-96 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. रालामण्डल सेन्चुरी प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
2. क्षेत्र का वॉटर ड्रेनेज प्लान।
3. प्रस्तावित क़शर के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा क़शर स्थापना हेतु चयनित भूमि की संपूर्ण जानकारी।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

4. लीज क्षेत्र के निकट स्थित रेनुका टेकरी की सुरक्षा की दृष्टि से पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त करेंगे।
5. Project description, its importance and the benefits.
6. Impact on the hillock due to mining operations have to be studied and furnished with comments from the expert.
7. Protection plan wrt for nearby habitation and sensitive features shall be prepared and discussed in the EIA report.
8. Cumulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carried out and discussed in the EIA report.
9. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage).
10. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
11. There is slight difference in the area of sanctioned lease in the DSR and approval letter hence same shall be rectified with the concerned MO and attached with the EIA report.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO_x & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
16. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
18. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studied and discussed in the EIA report.
19. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environment (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.
23. Peak Particles study shall be conducted by the authorized institution.
24. Hydrogeological study shall be conducted.
25. Ground Vibration study shall be conducted, accordingly mitigation plan shall be submitted.
26. As the lease area is near to the city area hence PP shall conduct PM10 study.
27. Year wise production data from 1997 onwards and the Mining Plans.
28. Assessment of the damages to the environmental components while carrying out the mining activities shall be carried out and accordingly the remediation plan including its cost and implementation-schedule shall be furnished.
29. Reasons for stopping the mining and then resuming the same later.
30. Locations with co-ordinates to be furnished.
31. Inventory of trees in the lease area.
32. Lease details with status of fencing, crusher capacity/status & plantation etc.
33. Credible action (if any) taken by MPPCB to be reported with current status.
34. Drone photography to be taken and reported.
35. Distance of Gandhisagar Dam and other sensitive features to be reported.
36. Compliances of CTO terms and conditions.
37. All standard TORs' with reference to the violation cases.

20. Case No 10603/2023 Shri VIJAY PRATAP SOLANKI, Owner, Address- Radhakrishnan, Ganj Basoda, Tehsil- Basoda, District- Vidisha (M.P). Prior Environment Clearance for Chorawar Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4055 cum per year) (Khasra No. 27/2/2), Village-Chaurabar, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) DEIAA-TOR.

प्रस्तावित खदान का दिनांक 19/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय प्रताप सोलंकी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri VIJAY PRATAP SOLANKI, Owner, Address- Radhakrishnan, Ganj Basoda, Tehsil- Basoda, District- Vidisha (M.P)

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	27/2/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village: Chorawar, Tehsil: Basoda & District: Vidisha (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 6308 दिनांक 17/12/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लारिस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया विदिशा के पत्र क्रमांक 388 दिनांक 02/02/17 के द्वारा पत्थर-4560 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-4055 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-4055 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 20/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 15 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 36.350 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 20/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 20/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौरावर जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-17 मार्च, 21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-31 के सरल क्रमांक-21 पर दर्ज है ।	

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

21. Case No 10300/2023 M/s Khalsa Mines & Resources, R/o E-45, Treasure Vihar, Treasure Town, Bijalpur, District-Indore (MP)-452012, Prior Environment Clearance for Ravad Stone Quarry Deposit in an area of 2.128 ha. (Stone-10000, M-sand-25000 cum per year) (Khasra No. 05), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP). DEIAA to SEIAA.

प्रकरण में समिति की पूर्व 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 के द्वारा टॉर की अनुशंसा की गई है ।

सिया की 802वीं बैठक दिनांक 24/08/23 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रस्तावित खदान से 26 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क, 35 व 44 मीटर पर मानव बसाहट एवं खदान के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होना परिलक्षित है । साथ ही खदान एक अन्य खदान से ओवरलेप हो रही है । पक्की सड़क व मानव बसाहट से निर्धारित 200 मीटर तक की दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः परीक्षण समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण दिनांक 19/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक M/s Khalsa Mines & Resources एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का परीक्षण

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि प्रस्तावित खदान से पश्चिम दिशा में 26 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क न होकर खदान की हालेज रोड़ है एवं 500 मीटर की परीधि देखने पर 05 खदाने है प्रथम दृष्टया में हालेज रोड़ ही प्रतीत होती है ।
- तथा 35 व 44 मीटर पर मानव बसाहट एवं खदान के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होना परिलक्षित है का उल्लेख किया गया है इस संबंध में एकल प्रमाण पत्र के बिंदु क्रमांक 04 पर मानव बसाहट नही होने का बताया गया है ।
- अन्य खदान से ओवरलेप हो रही है इस संबंध में माईनिंग प्लान में दर्शाये को क्वार्टिनेट को परीक्षण किया गया जो कि केएमएल से मेच कर रहे है । अतः स्पष्ट है कि माईनिंग प्लान के आधार पर ही खनन कार्य प्रस्तावित है एवं अन्य खदानों के क्वार्टिनेट समिति के पास उपलब्ध नही है । इसी आधार पर सेक द्वारा टॉर की अनुशंसा की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक के कथन को मान्य करते हुए पूर्व की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए उसमें निम्न अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक रॉक ब्रेकर से खनन हेतु सक्षम अथॉरिटी से अनुमोदित खनन योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

2. चूँकि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, अतः डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. उपरोक्त के साथ-साथ निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाय:—
 - 1- Copy of Form-I
 - 2- Land status/P2:
 - 3- Area & Location with Khasra no:
 - 4- Current Ekal Praman Patra
 - 5- Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
 - 6- Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
 - 7- OB Dump and waste management with facts and figures:
 - 8- Top soil management with soil profile:
 - 9- Detail of old Environment Clearance with validity period:
 - 10- EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
 - 11- Lease agreement details with compliance of LRC provisions
 - 12- Water requirement (KLD):
 - 13- Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
 - 14- No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
 - 15- Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
 - 16- Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 1. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 2. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 3. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 4. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 5. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 6. Verifiable proof of CER
 - 17- Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
 - 18- Carbon footprint.
 - 19- Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

22. Case No 10257/2023 Shri AMIT KUMAR SHIVHARE, Partner, M/s NEW BALAJI STONE MILL, 109, GANDHI NAGAR, MAHOBA (U.P.), Prior Environment Clearance for Didwara Stone Mine in an area of 2.00 ha. (48440 cum per year) (Khasra No. 1361/1/2), Village -Didwara, Tehsil-Lavkush Nagar, Distt. Chhatarpur, (MP). DEIAA to SEIAA.

प्रकरण में समिति की पूर्व 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 के द्वारा टॉर की अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 802वीं बैठक दिनांक 24/08/23 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रस्तावित खदान से पक्की सड़क 26 मीटर पर एवं पक्के आवासीय मकान 24, 46, एवं 41 पर परिलक्षित है । पक्की सड़क व मानव बसाहट से निर्धारित 200 मीटर तक की दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः परीक्षण समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 19/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार शिवहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का परीक्षण

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि प्रस्तावित खदान से 26 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
- पक्के आवासीय मकान 24, 46, एवं 41 पर परिलक्षित है परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि ये पक्के आवासीय मकान केशर यूनिट स्वामित्व के हटमेंट्स है । समिति द्वारा पुनः परीक्षण किया गया तथा ऐसा कोई रहवासी क्षेत्र नहीं पाया गया । उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 800 मीटर की दूरी पर आवासीय बस्ती है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन पत्र दिया गया है कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, ई.आइ.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान पुनरीक्षित/संशोधित रॉक ब्रेकर पर आधारित माईनिंग प्लॉन प्रस्तुत किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक के कथन को मान्य करते हुए पूर्व की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए उसमें निम्न अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जाती है :-

1. परियोजना प्रस्तावक रॉक ब्रेकर से खनन हेतु सक्षम अथॉरिटी से अनुमोदित खनन योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. चूंकि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, अतः डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

3. राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से खदान के समीप पक्के आवासीय मकान जो कि क्रमशः 24, 46, एवं 41 मीटर की दूरी पर स्थित है के बारे में अभिमत प्राप्त करें ।
4. उपरोक्त के साथ-साथ निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये:-

- 1- Copy of Form-I
- 2- Land status/P2:
- 3- Area & Location with Khasra no:
- 4- Current Ekal Praman Patra
- 5- Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6- Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7- OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8- Top soil management with soil profile:
- 9- Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10- EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11- Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12- Water requirement (KLD):
- 13- Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14- No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15- Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16- Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER.
- 17- Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18- Carbon footprint.
- 19- Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

23. Case No 8732/2021 Shri Kanhaiyalal Parmar S/o Shri Bherulal Parmar, Ward No. 4, Kanad Agar, Dist. Agar Malwa, MP - 456441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.767 ha. (10104 cum per annum) (Khasra No. 142/1), Village - Arniya, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).

प्रकरण समिति की पूर्व की 522वीं बैठक दिनांक 27/10/21, 525वीं बैठक दिनांक 10/11/21 एवं 535वीं बैठक दिनांक 16/12/21 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार उपस्थित न होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध कर सिया को प्रेषित किया गया था ।

प्रकरण सिया ने रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें ऑनलाइन फार्म-2 में भी पर्यावरण सलाहकार का नाम नहीं दिया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिए गए कि नेबिट एकीडेटेड पर्यावरण सलाहकार को नियुक्त कर पुनः सिया के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करें ।

प्रकरण का परीक्षण

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21/08/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को रखा गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया की परिवेश पोर्टल पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड गुगल ईमेज (के.एम.एल) ओपन नहीं हो रही हैं। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की गुगल ईमेज (के.एम.एल) पुनः प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री कन्हैया लाल परमार द्वारा बैठक में प्रस्तुत अपलोडेड गुगल ईमेज (के.एम.एल) के आधार पर समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र के अंदर कुछ बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित बिजली के खंभे/इंलेक्ट्रिक लाईन डालने का प्रस्ताव निरस्त हो गया है। परन्तु श्री कन्हैया लाल परमार इस संबंध में कोई भी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके । अतः समिति परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि पहले सक्षम प्राधिकरण से बिजली के खंभे/इंलेक्ट्रिक लाईन डालने का प्रस्ताव निरस्त होने की जानकारी प्रस्तुत करे तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

24. Case No 9970/2023 Shri Yogendra Tomar, Lease Owner, R/o A/131, Ward-22, Phase-3, SPM Colony, District-Hoshangabad (MP)-461001, Prior Environment Clearance for Rampura Chikaldi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 42/1/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP)

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्राकृतिक नाले के परिपेक्ष्य में आवश्यक स्थानवार मापदण्ड छोड़ने के

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

पश्चात् पुनरिक्षित सर्फेस मेप के साथ यह भी स्पष्ट करें कि सेटबैक छोड़ने के पश्चात उपलब्ध खदान क्षेत्र में आवेदित मात्रा उपलब्ध हो सकेगी?

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की 666वीं दिनांक 04/08/23 को रखा गया, जिसमें पाया कि खदान क्षेत्र से जो प्राकृतिक नाला निकल रहा है, जिसके संरक्षण हेतु स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है, अतः प्राकृतिक नाला स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप पुनः प्रस्तुत करें ।

प्रकरण सेक की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रकरण में एक अंतिम अवसर देते हुए समिति की दिनांक 19/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री योगेन्द्र तोमर और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव द्वारा उपरोक्त निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :-

- प्रस्तावित खदान निजी भूमि पर आवंटित है ।
- प्राकृतिक नाला निकल रहा है, जिसके संरक्षण हेतु स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर लगभग 0.76 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है ।
- डी.जी.एम. कार्यालय से रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य करने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।
- क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

समिति ने परीक्षण उपरांत पुनः परियोजना प्रस्तावक से प्राकृतिक नाला के संबंध में स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ना दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस प्लॉन, प्रोडक्शन प्लॉन एवं पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ।

25. Case No 10186/2023 Shri Ashutosh Agrawal, Owner, R/o 4/2, Dwarakapuri, Nutan Nagar, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Akavalya Stone (Gitti) & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-20000, M-Sand-30000 cum per year) (Khasra No. 812/1, 812/2, 812/3), Village-Akavaliya, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष से 50,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-30,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-30,000 घनमीटर/वर्ष है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा क्षमता विस्तार के संबंध में तथ्यात्मक उत्तर नहीं दे सके। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

प्रकरण दिनांक 19/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अशुतोष अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, द्वारा अवगत कराया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-30,000 घनमीटर/वर्ष प्रस्तावित है तथा समिति ने पाया कि प्रस्तुतीकरण में सरफेस मैप में एम.सेंड प्लॉट, केशर प्लॉट की स्थिति दर्शायी गई है एवं स्लरी मैनेजमेंट प्लॉन का भी उल्लेख किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-30,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. प्रस्तावित कशर हेतु वायु प्रदूषणरोधी उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे तथा इस संबंध में CPCB द्वारा जारी मार्गदर्शिका का पालन किया जायेगा ।
3. एम.सेंड प्लॉट हेतु प्रस्तावित स्लरी मैनेजमेंट प्लॉन का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.96 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.73 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अकावल्या शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ) व्यवस्था	50,000
ग्राम अकावल्या के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
	ग्रामवासियो अकावल्या में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
	ग्राम पंचायत अकावल्या के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
	ग्राम पंचायत अकावल्या के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

कुल	4000
------------	------

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No 8883/2021 Shri Hridesh Pathak Lessee, Village - Hama, Post - Niwari, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 6.0 ha. (100000 Cum per annum) (Khasra No. 189/1), Village - Ganjsijari, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.

प्रकरण सेक की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 एवं 678 वीं बैठक दिनांक 13/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ सिया को प्रेषित किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा:—

- 1- सिया से प्राप्त पत्र क्र०. 1554 दिनांक 03/10/2023 Case No. - 5757/2018 Pacific Business Centre of M/s SARC Infrastructure and Technology at Village Bawadia Kala, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.)-462026. Prior Environment Clearance for Pacific Business Centre of M/s. SARC Infrastructure and Technology, Khasra No. – 378/1, at Village - Bawadia Kala, Tehsil- Huzur, District- Bhopal (M.P.), Total Land Area- 1630.35 sq.mt. (4.05 Acre or 1.639 Hect.), total built up Area – 61,334.56 Sq. mt., Category: 8(a) Building & Construction Project. (Violation).
- 2- सिया से प्राप्त पत्र क्र०. 1562 दिनांक 03/10/2023 Case No. - 5758/2018 "Sterling Globe Grand" of M/s Sterling Globe Builders, Parther Shri Sanjeev Sabherwal, Village opposite Hanumarn Nagar, Jatkheri Road, Near Hoshangabad Road, Tehsil -Huzur, District -Bhopal (MP)-462026. Prior Environment Clearance for "Sterling Globe Grand" of M/s Sterling Globe Builders, Total Plot Area -12,600.00 sq.mt. (1.26 hect.), Total Built up Area – 29,845.64 Sq. mt., at Village - Opposite Hanumar Nagar,

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Jatkheri Road Near Hoshangabad Road, Tehsil -Huzur, District -Bhopal (M.P.)
Category: 8(a) Building & Construction Project.

उपरोक्त दोनो प्रकरणों में सिया द्वारा पत्र क्र0. 1554 एवं 1562 दिनांक 03/10/2023 के माध्यम से निर्देशित किया है, कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जमा बैंक गारंटी विमुक्त करने से पहले सेक समिति परियोजना स्थलों का निरीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा करे कि परियोजना प्रस्तावकों को बैंक गारंटी विमुक्त की जानी है, अथवा नहीं। इस संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निम्न उप-समिति का गठन किया जाता है:-

1. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य, SEAC - अध्यक्ष,
2. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य, SEAC - सदस्य
3. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य, SEAC - सदस्य

उपरोक्त समिति स्थल निरीक्षण कर अपनी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2023

25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

692वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2023

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम ठतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।